

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI

No. F.14(27)/LA-2006/ LJ/06/ 7652

Dated the 4th December, 2006.

NOTIFICATION

No.F.14(27)/LA-2006/ - The following Act of the Legislative Assembly of Delhi received the assent of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi on the 25th November, 2006 and is hereby published for general information:-

“THE DELHI TIBBIA COLLEGE (TAKEOVER) (AMENDMENT) ACT, 2006
(DELHI ACT 6 OF 2006)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 7th November, 2006).

[25th November, 2006]

An Act to amend the Delhi Tibbia College (Takeover) Act, 1997.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows: -

1. Short title, extent and commencement. – (1) This Act may be called the Delhi Tibbia College (Takeover)(Amendment) Act, 2006.
- (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (3) It shall be deemed to have come into force with effect from the 1st May, 1998.
2. Substitution of new section for section 7. – In the Delhi Tibbia College (Takeover) Act, 1997 (Delhi Act No.6 of 1998), for section 7, the following shall be substituted, namely:-

“7. Appointment of Employees of the College as employees of the Government as a part of the initial constitution. (1) The Government may, having regard to the requirements of the College, appoint an employee who has been immediately before the appointed day employed in the College, as an employee of the Government as a part of the initial constitution.


(2) The pay of an employee of the College appointed as an employee of the Government, as on the appointed day, shall be protected by granting the difference in pay under the Government and that drawn by the individual while in service of the College, as personal to individual to be absorbed against future increments.



(3) The pay and the terms and conditions of an employee appointed as an employee of the Government under sub-section (1) shall be dealt in accordance with the provisions of the Fundamental Rules, the Supplementary Rules and other rules as applicable to other employees of the Government.

(4) The pension of an employee appointed as an employee of the Government shall be on the same terms as are given to other equivalent employees of the Government.”

Provided that the benefit of previous service under the erstwhile Board shall be given only after the employee concerned has surrendered the employer's share of the contributory fund to the Government.” ”


(RAKESH SYAL)
JOINT SECRETARY (LAW, JUSTICE & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

सं. फा. 14(27)एल0ए0-2006/एल.जे./7632

दिनांक 4 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

सं. फा. 14(27)/एल0ए0/2006 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल की दिनांक 25 नवम्बर, 2006 को मिली अनुमति के पश्चात् दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है ।

“दिल्ली तिब्बिया कॉलेज (नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2006
(2006 का दिल्ली अधिनियम 6)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 2006 को यथा पारित)


[25 नवम्बर, 2006]

दिल्ली तिब्बिया कॉलेज (नियंत्रण) अधिनियम, 1997 का संशोधन करने के लिये एक अधिनियम।

यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा द्वारा भारतीय गणतंत्र के सत्तावनवें वर्ष में निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाए :-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम को दिल्ली तिब्बिया कॉलेज (नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाए ।
(2) यह समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित है ।
(3) इसे 1 मई, 1998 से लागू समझा जायेगा ।
2. धारा 7 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन.- दिल्ली तिब्बिया कॉलेज (नियंत्रण) अधिनियम, 1997 (1998 का 6 दिल्ली अधिनियम) की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
“7. कॉलेज के कर्मचारियों की सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति प्रारंभिक गठन के भाग के रूप में.-
(1) सरकार कॉलेज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कॉलेज के पूर्व विद्यमान कर्मचारियों की नियुक्ति सरकारी कर्मचारियों के रूप में प्रारंभिक गठन के भाग के रूप में कर सकती है ।
(2) नियत तिथि को कॉलेज के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन सरकार के अन्तर्गत वेतन में अंतर की राशि देकर सुरक्षित किया जायेगा तथा कॉलेज में कार्य करते हुए व्यक्ति को वैयक्तिक राशि भावी वेतनवृद्धियों में विलय किया जाएगा ।
(3) उपधारा (1) के अन्तर्गत सरकार के किसी कर्मचारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति का वेतन सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू मौलिक नियमावली (एफ.आर.) एवं अनुपूरक नियमावली (एस.आर.) उपबंधित विधि के अनुसार नियुक्त किया जाएगा ।
(4) पेंशन संबंधी लाभों के बारे में सरकार के कर्मचारियों की भांति उनकी नियुक्ति के उपरांत बोर्ड के कर्मचारियों की वही शर्तें होंगी जो सरकार के अन्य कर्मचारियों की हैं ।

बशर्ते कि पुराने बोर्ड के अन्तर्गत पूर्ववर्ती सेवा का लाभ संबंधित कर्मचारी के सरकार की अंशदायी निधि में नियोक्ता का अंशदान सौंप दिये जाने के उपरांत ही दिया जाएगा ।”



(राकेश स्याल)

संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)